FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम............

कानाराम बनाम इन्द्राराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 128 RLR act नं. 154/19 सन............

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.19	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री पूनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 R.L.R act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11.06.19 को पेश हो।	
11/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/07/19 को पेश हों।	
10/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/08/19 को पेश हो।	
26/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/12/19 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

17/12/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेना सेन आये हुए हैं। इन खेतों के मध्य जो पुरानी मांडे व डोले पाये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। बावजूद होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी करवाना आवश्यक है जिसमें तह-पीलसार मुकम्मल रहे। इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अमल कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 1020 दिनांकः– 17/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कानाराम पुत्र हिमताराम वगैरा जाति जाट निवासी जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. रूपाराम पुत्र भोमाराम वगैरा निवासी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जाखड़ा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 288/12, 303/17,/306/17, 312/38 रकबा कमशः 60.05, 63.07, 27.10, 33.08 बीघा पटवार हल्का जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

17.12.2019
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 1021–25 दिनांकः– 17/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री कानाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री रूपाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

17.12.2019
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested